

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 643]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2020 — अग्रहायण 23, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 दिसम्बर 2020

आदेश

क्रमांक 9640/2831/21-ब/छ.ग./2020. — राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अश्वनी कुमार वर्मा को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, दुर्ग, जिला दुर्ग तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक, दुर्ग, जिला दुर्ग के पद पर भी कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती है.

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29 - 2014 - न्याय प्रशासन, 114 - कानूनी सलाहकार और परिषद, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10 - व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008 - शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अंतर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.पी.सोहगौरा, अवर सचिव.